

न्यायालय:- सप्तम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सतना जिला-सतना म0प्र0।

एम0जे0सी0 एम0ए0सी0सी- 66 / 2026

फाईलिंग नंबर-589 / 2026

सी0एन0आर0 नं0 -एम0पी0-1901-002745-2026

आदेश दिनांक 06.05.2026

बृजलाल चौधरी

विरुद्ध

राजा हुसैन व अन्य

06.05.2026

आवेदिका बृजलाल चौधरी सहित श्री आर0के0 रजक अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र मो.दु.दा. अधिकरण में आयोजित लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 में पारित एवार्ड राशि 15,000/-रु. आवेदक को दिलाये जाने बाबत के संबंध में सिविल रीडर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें एम.ए.सी.सी. 821 / 2024 लोक अदालत आदेश दिनांक 13.12.2025 में प्रतिकर की राशि 15,000/-रु. अधिकरण के बैंक खाते आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा सतना में जमा होना पाया गया है और जो भुगतान होना शेष है।

आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आदेशानुसार अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रतिकर राशि 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) जरिये एनईएफटी क्रमांक 1234240182 एक्सिस बैंक दिनांक 29.01.2026 के माध्यम से अधिकरण के खाता क्रमांक-0422104000248099 में जमा किया गया है जिसकी पुष्टि क्लेम पंजी क्रमांक 18 / 2026 एवं पासबुक से होती है।

प्रकरण में लोक अदालत में पारित अधिनिर्णय दिनांक 13.12.2025 के अनुसार अनावेदक कं0 3 बीमा कम्पनी को दो माह के अंदर 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) की राशि अधिकरण के खाता में आर.टी.जी.एस या एनईएफटी द्वारा समझौता आवेदन प्रस्तुत को दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरूप उसके ईलाज में हुये व्यय को देखते हुए क्षतिपूर्ति राशि 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) का आनलाईन अथवा नगद भुगतान नेफ्ट के माध्यम से आवेदक बृजलाल चौधरी को उसके बचत खाते के माध्यम से किया जाये।

अतः अधिकरण के खाता क्रमांक- 0422104000248099 में अंतरित राशि 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) आवेदक बृजलाल चौधरी पिता दसई चौधरी उम्र 65 वर्ष निवासी-टिकुरिया टोला जिला सतना को उसके एकाउंट इंडियन बैंक/इलाहाबाद शाखा सतना के खाता क्रमांक 50157151607 IFSC IDIB000S595 के माध्यम से नगद भुगतान किया जाये।

उक्तानुसार बैंक को ज्ञापन जारी किया जाये।

आवेदक की पहचान श्री आर0के0 रजक अधिवक्ता द्वारा की गई। पहचान के संबंध में आवेदक द्वारा मूल आधार कार्ड नं. 868888122071 व उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। मूल आधार कार्ड से छायाप्रति मिलान कर मूल आधार आवेदक के अधिवक्ता को

वापस प्रदान किया गया।

यह एम.जे.सी एम0ए0सी0सी0 प्रकरण मूल प्रकरण के साथ
संलग्न कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/—

मुकेश कुमार यादव
सप्तम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
सतना, म0प्र0